रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 248] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 10, 1975/आषाढ़ 19, 1897

No. 248 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 10, 1975/ASADHA 19, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P. and T. Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July 1975

S.O. 344 (E).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby directs that the Indian Wireless Telegraphy (Possession) Rules, 1965 shall extend to, and come into force in, the State of Sikkim with effect on and from the 10th day of July, 1975.

[No. 1-41/75-BRL]

DALJINDER SINGH,
Senior Member (Posts) and Ex-Officio Addl. Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1975

का० आ० 344(अ).—भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि भारतीय बेतार तारयांत्रिकी (कब्जा) नियम, 1965, जुलाई, 1975 के 10वें दिन को और उससे सिक्किम राज्य को विस्तारित होगा और वहां प्रवृत्त होगा ।

[सं० 1-41/75-बी० आर० एल०]

दलजिन्दर सिंह,

ज्येष्ठ सदस्य (डाक) और पदेन अपर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975